पत्रांक–2ब०/वि०श०–23–01/2015 197 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–21/01/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम– मुंगेर एवं भागलपुर, नगर परिषद– मोकामा तथा नगर पंचायत, सोनपुर क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से निर्मित विद्युत शवदाह गृह के जीर्णोद्धार योजना हेतु नागरिक सुविधा मद में स्वीकृत योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में देनदारी की कुल राशि ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर निगम– मुंगेर एवं भागलपुर, नगर परिषद– मोकामा तथा नगर पंचायत, सोनपुर क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से निर्मित विद्युत शवदाह गृह के जीर्णोद्धार योजना हेतु नागरिक सुविधा मद में निम्नांकित तालिका के क्रम सं०– 01 से 03 के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 48, दिनांक– 14.09.2017 द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 49, दिनांक– 14.09.2019 द्वारा स्तम्भ– 6 में अंकित राशि आवंटित की गई थी तथा क्रम सं०– 04 के स्तम्भ– 3 में अंकित योजना को विभागीय राज्यादेश सं०– 76, दिनांक– 27.11.2017 द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आवंटनादेश सं०– 77, दिनांक– 27.11.2017 द्वारा स्तम्भ– 6 में अंकित राशि आवंटित की गई थी।

प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 7005, 7004 एवं 7007 दिनांक– 30.12.2019 एवं पत्रांक– 7023, दिनांक– 31.12.2019 द्वारा उक्त आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ– 07 मे अवशेष राशि कुल ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश/ आवंटनादेश एवं दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित कुल अवशेष राशि (5–6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	नगर निगम, मुंगेर	नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में निर्मित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कार्य।	48/49 14.09.2017	215.126	107.563	**107.563**

2	नगर निगम, भागलपुर	नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में निर्मित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कार्य।		269.0325	134.51625	**134.51625**
3	नगर परिषद्, मोकामा	नगर परिषद्, मोकामा क्षेत्रान्तर्गत बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में निर्मित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कार्य।		113.562	56.781	**56.781**
4	नगर पंचायत, सोनपुर	पहलेजा घाट में बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में निर्मित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कार्य।	76/77 27.11.2017	163.7395	81.86975	**81.86975**
					कुल	**380.73**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र ।

3. उक्त स्वीकृत **₹380.73 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र** सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निकायों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। **तत्पश्चात् नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर एवं मुंगेर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोकामा तथा नगर पंचायत, सोनपुर द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

4. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. (क) उक्त स्वीकृत राशि ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक– 1 एवं 2 के स्तम्भ– 7 में अंकित कुल राशि ₹242.07925 (दो करोड़ बयालिस

लाख सात हजार नौ सौ पच्चीस रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उक्त स्वीकृत राशि ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक– 3 के स्तमभ– 7 में अंकित कुल राशि ₹56.78100 (छप्पन लाख अठहत्तर हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त आवंटित राशि ₹380.73लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक–04 के स्तम्भ– 7 में अंकित कुल राशि ₹81.86975 (एकासी लाख छियासी हजार नौ सौ पचहत्तर रु०) मात्र की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकितै विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/वि०श०23–01/2017 के पृष्ठ सं०– ....80........../टि० पर दिनांक– 20.01.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ....81......../टि० पर दिनांक– 20.01.2020 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल पटना प्रमंडल एवं मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, वैशाली, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर

निगम– मुंगेर एवं भागलपुर ,कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मोकामा एवं नगर पंचायत, सोनपुर /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ वि०श०–23–01/2015 197 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 21/01/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल पटना प्रमंडल एवं मुंगेर प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, वैशाली, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम– मुंगेर एवं भागलपुर ,कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् मोकामा एवं नगर पंचायत, सोनपुर /कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.01.2020

सरकार के विशेष सचिव।